

## राजस्थान विधान सभा

### कार्य सलाहकार समिति

#### 42वां प्रतिवेदन

#### बुधवार, दिनांक 05 सितम्बर, 2018

कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 05 सितम्बर, 2018 को मध्याह्न पश्चात् 12.15 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्रम (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि गुरुवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2018 व शुक्रवार, दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को सदन में अग्रोत्तर लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाय :-

#### गुरुवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2018

- 1- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2018;
- 2- जगदगुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018;
- 3- राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018;
- 4- अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2018;
- 5- श्याम विश्वविद्यालय, लालसोट, दौसा विधेयक, 2018;
- 6- लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, चिकानी (अलवर) विधेयक, 2018;
- 7- श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा विधेयक, 2018;
- 8- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2018; एवं
- 9- राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2018;  
- पर विचार एवं पारण।

शुक्रवार, दिनांक 07 सितम्बर, 2018

- 1-अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2018-2019 (प्रथम संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2018 का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण ।
- 2- राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2018;
- 3- राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2018;
- 4- राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2018;
- 5- जयपुर जलप्रदाय और मलवहन बोर्ड विधेयक, 2018;
- 6- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2018; एवं
- 7- राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2018; - पर विचार एवं पारण ।

कैलाश चन्द्र मेघवाल  
पदेन सभापति

विधान सभा भवन,

जयपुर ।

दिनांक 05 सितम्बर, 2018

---

नोट:- उपरोक्त कार्य के बटवारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा ।